फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बोदूतली

देवीसहाय बनाम प्रियोलाल

मुकदमा संख्या/वर्ष 510 पत्र 212 R.T. Act /20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	5/6/24	अधिवक्ता श्री उपस्थित अपील तथा श्री तुलसी होकर पहिले 19.6.24 से पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बोदूतली, जिला-चूरू-राजस्थान	
	14.6.24 देवीसहाय बहादुरमल बेनीराम उदाराम रामनारायण रामकरण	अधिवक्ता श्री अपील-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में डिक्री पारित की गई है। उक्त डिक्री को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई है। अपील के साथ डिक्री की नकल भी संलग्न है। अपील पत्र में उल्लेखित तथ्यों से प्रार्थीगण को अवगत कराया गया। उक्त अपील पत्र में वर्णित तथ्यों से प्रतिवादीगण को अवगत कराया जाकर उनसे जवाब तलब किया जाने हेतु आगे कार्यवाही का निवेदन किया। अतः उक्त उपखण्ड अधिकारी बोदूतली, जिला-चूरू	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बोदूतली

देवीसहाय बनाम प्रियोलाल

मुकदमा संख्या/वर्ष 53/2024 प्रा0 पत्र 212 R.T. Act /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	वादी/अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के कथनानुसार अपील का अपील-पत्र स्वीकार किया जाता है। फाइल निर्णित कुमार किया दर्ज रजिस्टर हो कर दी। उपखण्ड अधिकारी बोदूतली, जिला-चूरू-राजस्थान	